न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 47/07 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. हीरालाल पुत्र रामजीलाल (फौत)

1/1 विजेन्द्र कुमार

1/2. सुरेन्द्र कुमार

1/3. अभयसिंह पुत्रान स्व0 हीरालाल

1/4. सन्तोष

1/5. मन्जू पुत्रियान स्व0 हीरालाल

1/6. नरेश पत्नि स्व0 राजेन्द्र पुत्र वधु स्व0 हीरालाल

1/7. मीनल पुत्री स्व0 राजेन्द्र पौत्री स्व0 हीरालाल

1/8 नितिन नाबालिग पुत्र स्व0 राजेन्द्र पौत्र स्व0 हीरालाल जरिये सरपरस्त माता नरेश जाति अहीर निवासी ग्राम मतलवास तह0 कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान

2. रतीराम

3. हरिसिंह पुत्रान मोहरसिंह जाति अहीर निवासी मतलवास तह0 कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान (फौत)

3/1. अनिल पुत्र हरिसिंह

3/2. बिमला

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

3/3. परमेश्वरी

3/3. मुन्नी पुत्रियान हरिसिंह

जातियान अहीर निवासीयान ग्राम मतलवास तहसील कोटकासिम

जिला अलवर राजस्थान

:----- अपीलांट प्रतिवादीगण

बनाम

1 डालचन्द पुत्र नेतराम
2 रामस्वरूप पुत्र छाजू
3 छत्रपाल पुत्र लेखराम
4 जयचन्द पुत्र चुन्ना जाति अहीर निवासी मतलवास तहसील कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान

:-- असल रेस्पो0 प्रतिवादीगण

5 लक्ष्मण पुत्र घासी
6 बलबीर
7 पप्पू
8 राजेन्द्र
9 धर्मवीर
10 कर्मवीर पुत्रान अमीचन्द
11 कृष्णा
12 उषा पुत्रियान अमीचन्द
13 मु0 कलावती बेवाह अमीचन्द
14 मुखराम पुत्र रिछपाल
15 रूपसिंह
16 देशराज पुत्रान जयदयाल
17 जगदीश
18 रामफल पुत्रान हरिसिंह
19 फूलचन्द पुत्र निर्भय

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

20 नरेश कुमार
21 सुरेश चन्द पुत्रान प्यारेलाल
22 अमीचन्द
23 हीरालाल
24 जसवन्त
25 महेन्द्र
26 बोदन पुत्रान बेगराज
27 सरति बेवाह भोजा
28 लालकौर
29 राजबाला पुत्रियान भोजा
30 बुद्धा
31 लालसिंह पुत्रान सुखदेव
32 कालूराम
33 गोपीचन्द पुत्रान सूरज
34 मोहरसिंह पुत्र हीरा
35 राजकुमार
36 होशियारसिंह पुत्रान हुकमा
37 रूडा पुत्र फूला
38 मुखराम
39 सूरजा
40 लालसिंह
41 छोटा पुत्रान भोला
42 सुरेश पुत्र सुल्तान
43 हरिसिंह
44 लीलाराम पुत्रान श्योलाल
45 अमरसिंह
46 भगवाना
47 नन्दलाल पुत्रान अम्बू
48 चुन्नीलाल
49 किशोरीलाल पुत्रान दीपचन्द
50 मलखान पुत्र मांगेलाल

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

51 चोखराम

52 अमरसिंह पुत्रान रूडा

53 लालसिंह पुत्र भींवा

54 राजेन्द्र

55 वीरसिंह पुत्रान भगवान

56 जयदेई बेवाह भगवान

57 मांगेराम

58 महावीर

59 पोहप पुत्रान खेमचन्द

60 कुडियाराम पुत्र नन्दलाल

61 गणेशी पुत्र जयराम

62 छोटेलाल

63 रामपाल

64 मेहरचन्द पुत्रान जयराम जाति अहीर निवासीयान मतलवास तह0 कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान

:--- तरतीबी रेस्पो0 प्रतिवादीगण

65 राज0 सरकार जरिये तहसीलदार कोटकासिम

:-- भूमिधारी तकमीली रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व प्रारम्भिक डिकी उपखंड अधिकारी, कोटकासिम दिनांक 28.4.2007।

थत :- 1. वकील अपीलांट :- श्री महेन्द्र सिंह यादव

2 वकील असल रेस्पो0 :- श्री जनार्दन शर्मा

निर्णय दिनांक 15.1.2019

---

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, कोटकासिम द्वारा राजस्व वाद संख्या 406/02 में पारित निर्णय दिनांक 28.4.2007 के खिलाफ है, जिसके

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

Scanned by CamScanner

द्वारा वादी का उक्त वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 53 आर0 टी0 एक्ट डिक्री किया जाकर कुर्रजात रिपोर्ट तलब करने के आदेश दिये गये हैं ।

2 विद्वान वकील अपीलांट ने दौराने बहस अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिये कि हम पक्षकारान में राजीनामा हो गया है, जो राजीनामा अदालत श्रीमान में प्रस्तुत कर दिया गया है । उक्त राजीनामा में पक्षकारान ने तय किया है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 12 रकबा 0.04 बिस्वा सम्पूर्ण वाके ग्राम मतलवास तहसील कोटकासिम वादीगण असल रेस्पो0 का रहेगा । हाल खसरा नलम्बर 447 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा में से 1/7 हिस्सा एवं खसरा नम्बर हाल 112 व 118 से लगातार 124 और हाल खसरा नम्बर 127 तथा 142 से लगातार 148 तक तथा खसरा नम्बर हाल 151 व 152 में से 1/32 हिस्सा वाके ग्राम मतलवास तहसील कोटकासिम प्रतिवादीगण अपीलांट का रहेगा । आराजी खसरा नम्बर हाल 125 व 126 और हाल खसरा नम्बर 149 व 150 में से 1/32 वाके ग्राम मतलवास तहसील कोटकासिम वादीगण असल रेस्पो0 का रहेगा । इस राजीनामा पर रेस्पो0 असल को कोई आपत्ति नहीं है । अतः निवेदन है कि राजीनामा अनुसार वाद डिक्री किये जाने का निर्णय पारित किया जावे ।

विद्वान वकील असल रेस्पो0 ने निवेदन किया है कि अगर मुताबिक राजीनामा वाद डिक्री किये जाने का आदेश पारित कर दिया जाता है तो हमको कोई आपत्ति नहीं है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा राजीनामा पर गौर किया । चूंकि पक्षकारान में राजीनामा हो गया है और मुताबिक राजीनामा वाद पत्र डिक्री कराना चाहते हैं । ऐसी स्थिति में हम राजीनामा पर विधिक कार्यवाही करते हुये वाद पत्र में न्यायसंगत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण रिमांड किया जाना न्यायोचित समझते हैं ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 28.4.2007 निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण तहत न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वो राजीनामा पर विधिक कार्यवाही करते हुये वाद पत्र में न्यायसंगत निर्णय पारित करें । उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वो वास्ते सुनवाई दिनांक 15.2.2019 को उपस्थित हों । मूल राजीनामा निर्णय की प्रति के साथ तहत न्यायालय को भिजवाया जावे तथा प्रमाणित प्रति अदालत हाजा की पत्रावली में संलग्न की जावे ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजू शर्मा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner